

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०-4/निदे०(सी०एस०एस०)-61-05/2012-

149

E. Mail
31/3/17

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-30.03.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जातियों के बहुमुखी विकास हेतु भारत सरकार से शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि से आयोत्पादक योजनाओं के लिए कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण व्यय, सामग्री एवं पूर्तियाँ, लघु कार्य तथा मशीनें एवं उपस्कर मद में कुल-₹38,88,91,000/- (अड़तीस करोड़ छियासी लाख एकानवे हजार ₹0) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

2- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-112 दिनांक-18.03.17 एवं आवंटनादेश सं०-116 दिनांक-20/03/17 द्वारा को वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जातियों के बहुमुखी विकास हेतु भारत सरकार से शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि से आयोत्पादक योजनाओं के लिए कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण व्यय, सामग्री एवं पूर्तियाँ, लघु कार्य तथा मशीनें एवं उपस्कर मद में कुल-₹38,86,91,000/- (अड़तीस करोड़ छियासी लाख एकानवे हजार ₹0) की अग्रिम निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र सं०-एम०-4-21/07-3748 वि०(2) दिनांक-05/4/2010 के आलोक में प्रदान की जाती है।

3- वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561 दिनांक 17-4-98 के आलोक में राशि की निकासी की जाएगी।

4- निकासी की जाने वाली राशि स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन हैं।

5- उक्त स्वीकृत एवं आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।

6- उक्त राशि की निकासी के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग की सहमति प्राप्त है।

7- सभी जिला कल्याण पदाधिकारी आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, बिहार, पटना को समर्पित करते हुए इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा।


विश्वासभाजन,




(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 4/एस0सी0ए0-61-05/2012- 149 पटना, दिनांक 30.03.12
प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार,
पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण विभाग/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला
पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला
कल्याण पदा0/उप निदेशक(मु0), अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/ सहायक
निदेशक अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु0जाति एवं
अनु0जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण
विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव।
पटना, दिनांक 30.03.12

ज्ञापांक-4/एस0सी0ए0-61-05/2012- 149
प्रतिलिपि - सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव | 30/3